

चाईल्ड बजट वर्ष 2026-27

विभाग- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

विभागाध्यक्ष- प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

राशि हजार ₹ में

अ. बाल विशिष्ट योजना (योजनाएं जिसमें बच्चों के लिए प्रावधान 100 प्रतिशत है)

क्र.	योजना कर्मांक	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	बजट प्रावधान 2025-26	बजट प्रावधान 2026-27	अनुमानित लाभार्थी 0 से 18 वर्ष
1	2	3	4	5	6	7
1.	5700	शालाओं में पेयजल व्यवस्था	प्रदेश की सभी शासकीय भवनयुक्त प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक शालाओं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना लागू है। शुद्ध पेयजल के उपयोग से बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य पुष्ट रहता है एवं जल की उपलब्धता से स्कूलों के वातावरण एवं शौचालयों को स्वच्छ रखने में सहायता मिलती है।	300	300	150
2.	7951	आंगनवाड़ी एवं अस्पताल में नलकूप खनन कार्य	प्रदेश की सभी शासकीय भवनयुक्त आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना लागू है। शुद्ध पेयजल के उपयोग से बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य पुष्ट रहता है एवं जल की उपलब्धता से आंगनवाड़ियों के वातावरण एवं शौचालयों को स्वच्छ रखने में सहायता मिलती है।	300	300	60

चाईल्ड बजट वर्ष 2026-27

विभाग- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

विभागाध्यक्ष- प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

राशि हजार ₹ में

ब. बाल समावेशी योजना (योजनाएं जिसमें बच्चे भी लाभान्वित हैं)

क्र.	योजना क्रमांक	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	बजट प्रावधान 2025-26	बजट प्रावधान 2026-27	बच्चों के लिए प्रावधान 2026-27	अनुमानित लाभार्थी 0 से 18 वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	6383	जल जीवन मिशन	जल जीवन मिशन - केन्द्र एवं राज्य की संयुक्त योजना है जिसका उद्देश्य सितम्बर-2023 तक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम में 'हर घर जल' पहुंचाया जाना है। इसके तहत 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के मान से मानक गुणवत्तायुक्त जल प्रत्येक घर में घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से दिया जाना है, जिससे जल भरण में लगने वाले समय की बचत होगी तथा लोगों की आर्थिक एवं स्वच्छता तथा स्वास्थ्यगत उन्नति होगी।	45000006	30000000	7500000	1123750
2.	4378	ग्रामों में पेयजल प्रदाय	प्रदेश के पेयजल समस्यामूलक बसाहटों में प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन 40 लीटर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना लागू है। उक्त मात्रा में जल की उपलब्धता से व्यस्को के साथ बच्चों को पेयजल एवं दैनंदिन कार्यों के लिए तथा आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने में पर्याप्त सहायता मिलती है।	500000	500000	125000	147500